

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

(574. साउथ सिविल लाईन्स)

क0 फा0न0 41 /स्था0/सविसेप्रा0/ / 356/12

जबलपुर, दिनांक 30/1/2011

विज्ञप्ति

भारी/हल्का वाहन चालक के, पूर्णतः अस्थायी, एक पद पर, संविदा एवं कलेक्टर द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक/दर के आधार पर, दो वर्ष की कालावधि के लिये नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, संलग्न निर्धारित प्रपत्र में, निम्नलिखित शर्तों पर, आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **20/02/2012 सायं 5.30 बजे तक है।** निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनो पर कोई विचार/पत्राचार नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों में से निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु सूचित किया जा कर साक्षात्कार के लिये आहूत किया जायेगा :-

पद की शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य अहर्ता तथा अन्य शर्तें

- 01- वाहन चालक का पद **पूर्णरूप से अस्थायी होकर संविदा एवं कलेक्टर, जबलपुर** द्वारा समय-समय पर निर्धारित पारिश्रमिक के आधार पर होगा ।
- 02- नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी होकर दो वर्ष की अवधि के लिये होगी ।
- 03- आवेदक की आयु आवेदन करने की दिनांक को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- 04- आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए ।
- 05- अभ्यर्थी को आवेदन करने की दिनांक को कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।
- 06- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासन के नियमानुसार आयु सीमा में छूट देय होगी ।
- 07- वाहन चालक के पद के लिये **केवल पुरुष अभ्यर्थी ही आवेदन करने के पात्र होंगे ।**
- 08- अभ्यर्थी भारी मोटर वाहन एवं हल्का मोटर वाहन चालन का लायसेंसधारी होना आवश्यक है। वाहन चलाने के अनुभवी अभ्यर्थी को उसके अनुभव के अनुसार प्राथमिकता दी जायेगी।
- 09- संविदा एवं कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर के आधार पर वाहन चालक के पद पर नियुक्त होने वाले योग्य अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार यात्रा भत्ता के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा ।
- 10- कर्तव्य से अनुपस्थिति अवधि का पारिश्रमिक/वेतन देय नहीं होगा ।
- 11- अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन के कार्यभारित/आकस्मिकता कर्मचारी नियम के अनुसार आकस्मिक/साप्ताहिक अवकाश की पात्रता होगी जो कार्यालय प्रमुख/नियंत्रण अधिकारी की स्वीकृति के आधार पर ही देय होगा ।
- 12- संविदा कर्मचारी, उसकी संविदात्मक कालावधि के लिये किन्हीं पेंशन संबंधी प्रसुविधाओं का हकदार नहीं होगा ।
- 13- संविदा कर्मचारी, शासकीय सेवा में नियमितकरण के लिये हकदार नहीं होगा ।
- 14- संविदा कर्मचारी की नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस अथवा वेतन देकर समाप्त की जा सकती है तथा कर्मचारी स्वयं भी एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन जमा कर सेवा से त्याग पत्र दे सकता है ।
- 15- वाहन चालक के पद पर नियुक्ति साक्षात्कार के आधार पर योग्य अभ्यर्थी में से की जायेगी। जिसके लिये कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है तथा साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि किसी वर्ग के अभ्यर्थी को देय नहीं होगा ।
- 16- वाहन चालक का पद स्थानान्तरणिय है। नियुक्त अभ्यर्थी का प्रशासकीय आधार पर मध्यप्रदेश के किसी भी जिले में स्थानान्तर किया जा सकेगा।

सदस्य सचिव

आवेदन का प्रारूप

प्रति,

सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
574, साउथ सिविल लाइन्स,
जबलपुर (म0प्र0) - 482001

विषय:- संविदा एवं कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर के आधार पर वाहन चालक के अस्थायी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन।

सन्दर्भ:- म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विज्ञप्ति दिनांक

पासपोर्ट आकार का
फोटो
बसा कर स्वयं के द्वारा
सत्यापित करें

- 01- आवेदक का पूरा पता
- 02- पिता का नाम
- 03- वर्तमान निवास का पूर्ण पता
- 04- स्थाई निवास का पूरा
- 05- मूल निवास स्थान
- 06- जाति एवं वर्ग
- (स्थायी/अस्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- 07- संपर्क हेतु सेलफोन नं0 या
लैण्डलाइन फोन नं0
- 08- जन्मतिथि
- 09- वर्तमान आयु
- 10- शैक्षणिक योग्यता
- 11- वाहन चालन का अनुभव
- अ- भारी वाहन (एच.एम.व्ही)
- ब- हल्का वाहन (एल. एम.व्ही)
- 10- अन्य योग्यता/अनुभव

आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

हस्ता0 :-

नाम :-